विचार बिन्दु

स्वयं प्रकाशित दीप को भी प्रकाश के लिए तेल और बत्ती का जतन करना पड़ता है बुद्धिमान भी अपने विकास के लिए निरंतर यत्न करते हैं। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता केवल उसको उपयुक्त काम में लगाने वाला ही कठिनाई से मिलता है। -शुक्रनीति

त्योहारी सीज़न में उपभोक्ताओं ने की जमकर खरीदारी

इस वर्ष दिवाली ने देशभर में व्यापार की दुनिया में नया रिकार्ड बनाया है। जीएसटी कटौती के चलते दिवाली सहित त्योहारी सीज़न में उपभोक्ताओं ने जमकर खरीदारी की। उपभोक्ताओं के लिए यह त्योहार खुशियों भरा रहा। कीमतों में स्थिरता और त्योहारी उत्साह ने उन्हें अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित किया। महानगरों तथा उभरते बाजारों में त्योहारी मांग 25 प्रतिशत तक बढ़ी है। इस वर्ष दिवाली पर बिक्री के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली पर देशभर में कुल बिक्री 6.05 लाख करोड़ तक पहुंची, जिसमें 5.40 लाख करोड़ का वस्तु व्यापार और 65 हजार करोड़ का सेवा व्यापार शामिल है। त्योहारी बिक्री में किराना व एफएमसीजी वस्तुओं की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत, सोना-चांदी 10 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स 8 प्रतिशत, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 7 प्रतिशत, रेडीमेड परिधान 7 प्रतिशत, गिफ्ट आइटम 7 प्रतिशत, होम डेकोर व फर्नीचर 10 प्रतिशत, मिठाई-नमकीन 5 प्रतिशत, वस्त्र 4 प्रतिशत, पूजन सामग्री 3 प्रतिशत, फल व मेवे एवं बेकरी-कन्फेक्शनरी प्रत्येक 3 प्रतिशत, फुटवियर 2 प्रतिशत और अन्य विविध वस्तुएं 19 प्रतिशत रहीं। इसी तरह सेवा क्षेत्र में भी इस बार कारोबार 65,000 करोड़ तक पहुंचा। पैकेजिंग, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, टैक्सी, इवेंट मैनेजमेंट, डिलीवरी और टेंट-सजावट जैसे क्षेत्रों में मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह देश के व्यापार इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा त्योहारी कारोबार है। पिछले साल के मुकाबले बिक्री में 25 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछली दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। दिवाली के अवसर पर कारोबारी गतिविधियों में बढ़ोतरी से लगभग 50 लाख अस्थायी रोजगार सृजित हुए। इनमें से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों ने कुल व्यापार का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा लिया। इससे यह स्पष्ट है कि न केवल बड़े शहरों बल्कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में भी दिवाली के अवसर पर खरीदी में तेजी आई।

त्योहारी सीजन में बाजार ने तूफानी तेजी पकड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी ऑनलाइन बाजार में ही दिखाई दी। आज जिसे देखो वह ऑनलाइन बाजार से खरीददारी के लिए व्यस्त है। इसमें ग्राहक और कंपनियों दोनों का फायदा भी हो रहा है। ग्राहक को घर बैठे मनपसंद सामान मिल रहा है तो वहीं कंपनियों के सामने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन रहा है। दिवाली के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। इस बार ग्राहकों ने न केवल ज्यादा खर्च किया, बल्कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स और तुरंत डिलीवरी सेवाओं को भी प्राथमिकता दी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए गए। अब त्योहारों की खरीदारी सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों से भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। डेटम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में भारत की फेस्टिव ऑनलाइन बिक्री में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर यह 1.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल के त्योहारों से साफ है कि अब भारतीय खरीदार तेज डिलीवरी, अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। एक लोकल सर्वे ने ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर सर्वे किया था जिसमें अधिकांश लोगों ने बताया था कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग को चुना है। इससे बाजार की भीडभाड से भी राहत मिल रही और लोगों के सामने विकल्प चुनने के भी की ब्रॉड मौजूद थे। इसीलिए विदेशों की तर्ज पर भारत में भी ऑनलाइन शॉपिग तेजी से बढ़ रही है। देश में इ-कॉमर्स का बाजार इन दिनों अपनी बूम पर है। यह सच है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई प्रकार की मनभावक छूट, ऑफर और घर बैठे डिलीवरी की सुविधा मिलती है, यह भी सही है, ऑनलाइन खरीदारी में समय और ऊर्जा की बचत होती है, परंतु नकली प्रोडक्ट्स और डिलेवरी की दिक्कतें भी आम हैं। अब ग्राहकों को सावधानी तो रखनी ही होगी अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर करीब छह लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है, जिसमें ऑनलाइन पर 1.20 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है, जो हमारे देश की जीडीपी का 3.2 प्रतिशत आंका गया है। नामी गिरामी ई-कॉमर्स कंपनियों ने त्योहारी सीज़न और जीएसटी में हालिया बदलाव का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले ही डिस्काउंट ऑफर देने शुरू कर दिए थे।

त्योहार के सीजन में लगभग 70 करोड़ ग्राहक बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं और जहां 500 रुपये या उससे कम ख़रीदारी करने वाले लोग हैं वहीं हज़ारों और लाखों रुपये खर्च करने वालों की भी कमी नहीं है और इसीलिए देश में त्योहारी सीजन की महत्ता व्यापार की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। त्योहारों पर जिस तरह से विभिन्न प्रकार की चीजों की बिक्री से बाजार गुलज़ार हो रहा है उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले सभी त्योहारों पर खरीदारी के लिए ग्राहक मन बना चुके हैं। लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। दुकानें ग्राहकों से गुलजार होने लगी है। बाजारों में चहल पहल व भीड़-भाड़ देखने को मिल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में खरीदारी करने वालों की भीड़ बढ़ रही है और आने वाले दिनों में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन से इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, ऑटो मोबाइल, सराफा बाजार में ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या से न केवल इन स्थलों की रौनक बड़ रही है बल्कि अच्छा कारोबार होने से कारोबारियों के चेहरों पर चमक देखने को मिल रही है। यह त्योहारी सीजन हालाँकि महंगाई की मार से उपभोक्ताओं को राहतभरा नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर करीब छह लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है, जिसमें ऑनलाइन पर 1.20 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है, जो हमारे देश की जीडीपी का 3.2 प्रतिशत आंका गया है। नामी गिरामी ई-कॉमर्स कंपनियों ने त्योहारी सीज़न और जीएसटी में हालिया बदलाव का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले ही डिस्काउंट ऑफर देने शुरू कर दिए थे। कई कंपनियों के विज्ञापन में 50 से 80 प्रतिशत डिस्काउंट का वादा किया। अनुसंधान फर्म 'डेटम इंटेलिजेंस' की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में जीएसटी दरों को आमजन के अनुकूल बनाने से इस साल त्योहारी बिक्री 27 प्रतिशत से बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, क्योंकि टैक्स स्लैब को कम करने से कई जरूरी उत्पादों की कीमत में भारी कमी आई।

नई जीएसटी व्यवस्था में अब सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत के 2 टैक्स स्लैब रखे गए हैं और कुछ दरों को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे ग्राहकों को 10 प्रतिशत तक की बचत होने का अनुमान है। नई जीएसटी व्यवस्था में टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर विशेष तौर पर बचत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक विगत तीन वर्षों में पहली बार शहरी उपभोक्ताओं के खर्च में वृद्धि देखी गई है। सिर्फ जुलाई महीने में 37.6 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपने गैर-जरूरी खर्च में वृद्धि की है।

दुकानदार और ऑनलाइन कम्पनियाँ जहां इन त्योहारों में आकर्षक ऑफर तथा डिस्काउंट की पेशकश कर ग्राहकों को रिझाने का प्रयास करते हैं, वहीं ग्राहक भी इन आकर्षक ऑफरों का लाभ उठाकर जमकर खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन सेल में सामान सस्ता जरूर मिल रहा है मगर उपभोक्ता को सावधानी रखनी पड़ेगी क्योकि ठगी करने वाले गिरोह भी सक्रीय हो गए है। जो भोले भले लोगों को सस्ते माल के चक्कर में फंसा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे है। अधिकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। बैंक स्टेटमेंट और पासवर्ड सुरक्षा सुनिश्चित करें। कैशऑन डिलीवरी अपनाएँ और फर्जी ऑफर्स से बचें। ऐसे में लोगों ने सतर्कता नहीं रखी तो सस्ते में माल खरीदना महंगा भी पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसी दुर्घटना से बचने के लिए समझदारी और सजगता की जरुरत है।

-अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

चेतावनी : धर्मांतरण के बढ़ते नेटवर्क और बदलता सामाजिक संतुलन

भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर धीरे-धीरे होती चोट

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

भारत की सभ्यता हज़ारों वर्षों से विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक रही है। यहाँ सनातन संस्कृति ने न केवल अनेक मत-पंथों को जन्म दिया, बल्कि उन्हें सह-अस्तित्व का स्थान भी दिया। परंतु पिछले कुछ दशकों में एक ऐसी प्रवृत्ति ने समाज के भीतर गहरी दरार डालनी शुरू की है - संगठित और योजनाबद्ध धर्मांतरण की प्रक्रिया, जो अब केवल धार्मिक या सामाजिक नहीं रही, बल्कि भू-राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा बन चुकी है।

भारत में धर्मांतरण की बढ़ती प्रक्रिया

स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक, भारत ने कई बार धार्मिक असंतुलन की झलक देखी है। 1951 की जनगणना में देश में हिंदू जनसंख्या 84.1% थी, जबकि 2011 तक यह घटकर 79.8% रह गई। दूसरी ओर, मुस्लिम जनसंख्या 9.8% से बढ़कर 14.2% और ईसाई जनसंख्या 2.3% से बढ़कर 2.8% तक पहुँची। यह परिवर्तन स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम भर नहीं है; कई राज्यों में संगठित मिशनरी गतिविधियों, विदेशी फंडिंग और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही ने इस असंतुलन को गति दी है।

सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं - छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, केरल और तमिलनाडु। इन राज्यों में या तो आदिवासी जनसंख्या अधिक है, या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में धार्मिक सहायता और सामाजिक सेवाओं के नाम पर परिवर्तन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है।

आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिशनरियों की पकड़

धर्मांतरण का सबसे गंभीर पक्ष यह है कि यह सीधे सामाजिक-आर्थिक असमानता का उपयोग करता है। जहाँ सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ नहीं पहुँच पातीं, वहाँ मिशनरी संस्थाएँ 'सेवा' के नाम पर घर-घर पहुँचती हैं। स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और मुफ्त राशन जैसी सुविधाओं के माध्यम से धीरे-धीरे धार्मिक पहचान बदलने की प्रेरणा दी जाती है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बस्तर, सरगुजा और गुमला जिले इस गतिविधि के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। स्थानीय भाषा और संस्कृति को अपनाने वाले प्रचारक आदिवासी समुदायों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी मूल पहचान 'हिंदू धर्म' से अलग है - जबकि वास्तविकता में वे सदियों से भारत की सांस्कृतिक धारा का अभिन्न अंग रहे हैं।

दक्षिण और उत्तर-पूर्व भारत में बढ़ती सक्रियता

केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चर्च-संचालित संस्थाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। इनके माध्यम से न केवल समाजसेवा, बल्कि धार्मिक प्रचार-प्रसार भी एक समानांतर शक्ति बन चुका है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर नगालैंड, मिज़ोरम और मेघालय, अब लगभग पूरी तरह से ईसाई-बहुल समाज बन चुके हैं। 1950 में जहाँ ईसाई जनसंख्या नगालैंड में 15% थी, आज वह 90% से अधिक है। यह परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का भी पुनर्गठन है।

राजस्थान में स्थिति

जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं, तो यह विषय केवल दूर के आदिवासी इलाकों या राज्यों तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान, हमारा अपना राज्य, इस विषय के केंद्र में आ गया है; यहाँ के अनुभव, घटनाएँ और सरकारी कार्रवाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समझ कितनी मज़बूत है।

स्थानीय घटनाएँ जहाँ धर्म परिवर्तन का आरोप लगा

उदाहरण के लिए, दौसा जिले में अगापे फैलोशिप चर्च को आरोपों का सामना करना पड़ा कि वहाँ धर्मांतरण की गतिविधियाँ हो रही थीं। स्थानीय लोगों के विरोध और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद प्रशासन ने जाँच शुरू की। एक और मामला बांसवाड़ा का है, जहाँ एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि प्रेम जाल और प्रेग्नेंसी के बाद उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पुलिस ने मामले को दर्ज किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स में प्रलोभन या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन के आरोप अक्सर सामने आते हैं, लेकिन जांच की प्रगति, न्यायालयिक कार्यवाही या दोष सिद्धि की दर बहुत कम पायी जाती है।

धर्मांतरण विरोधी बिल पास और केसों की संख्या

सितंबर 2025 में राजस्थान विधानसभा ने Rajasthan Prohibition of Unlawful Religious Conversion Bill, 2025 पारित किया। इस बिल के बाद सरकार ने स्वीकार किया है कि पिछले पाँच वर्षों में राज्य में केवल 13 धर्मांतरण मामले दर्ज हुए हैं। सरकार का दावा है कि "love jihad" नाम से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह संख्या अपेक्षाकृत कम है, जो दिखाती है कि व्यापक, हिंसात्मक या जबरन धर्मांतरण की कथित घटनाएँ (जो अक्सर मीडिया या राजनीति में बड़ी बातें बन जाती हैं) वास्तविक घटनाओं की तुलना में कम हों।

कानून की सख्ती और दंड का प्रावधान

नया कानून प्रत्येक अनौचित या जबरन धर्मांतरण को अपराध मानता है। यदि विवाह केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया हो, तो विवाह को अवैध माना जाएगा। बल, प्रलोभन, छल आदि के माध्यम से किए गए परिवर्तन पर 7-14 साल जेल और 5-10 लाख जुर्माना जैसे प्रावधान हैं। मास / समूह धर्मांतरण की स्थिति में सजा और भी ज़्यादा है, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति / जनजाति / नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधान हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के उदाहरण भारत के पड़ोसी देशों में भी यह रुझान दिखाई देता है।

नेपाल: जहाँ कभी हिंदू राष्ट्र की पहचान थी, वहाँ 2015 में नया संविधान धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, और इसके बाद से मिशनरियों की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

श्रीलंका: तमिल-बहुल इलाकों में चर्च नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिसने स्थानीय सामाजिक ढाँचे को प्रभावित किया।

बांग्लादेश: 1971 के बाद से इस्लामीकरण की नीति ने हिंदू जनसंख्या को 20% से घटाकर 8% से भी कम कर दिया।

इंडोनेशिया: यहाँ मुस्लिम बहुल शासन व्यवस्था के बीच ईसाई प्रचार पर नियंत्रण के बावजूद बाहरी NGO फंडिंग से कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन बदलने के प्रयास हुए हैं।

लेबनान: कभी एक ईसाई, आधुनिक, उदार और सांस्कृतिक रूप से जीवंत मध्य - पूर्वी देश हुआ करता था - सन् 1970 तक वहाँ का समाज धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक खुलापन का प्रतीक माना जाता था। उस दौर में मुस्लिम शरणार्थियों को पनाह देने वाला लेबनान, धीरे-धीरे कट्टरपंथ और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार बन गया। परिणाम स्वरूप ईसाईयों को अपना देश छोड़ना पड़ा और आज यह आतंकवादियों का पसंदीदा देश है।

काबुल: इसी तरह, सन् 1990 से पहले का काबुल भी एक आज़ाद और आधुनिक शहर था - जहाँ महिलाएँ आधुनिक वस्त्र पहनकर सड़कों पर बेझिझक घूमती थीं, विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेती थीं, और कला-संस्कृति का माहौल गहराई से बसा था। इतना ही नहीं, उस समय बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी इन देशों में होती थी। लेकिन कुछ ही वर्षों में ये सभी शहर कट्टर विचारधारा, विदेशी फंडिंग और धार्मिक राजनीति के केंद्र बन गए - और आज वहाँ की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर समाज समय रहते नहीं चेता, तो सभ्यता के केंद्र भी कट्टरता की गिरफ्त में आ सकते हैं।

इन सभी देशों में एक समानता है - धर्मांतरण को भू-राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रयोग करना, ताकि सांस्कृतिक पहचान को कमजोर कर राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव स्थापित किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की चुनौती

धर्मांतरण अब केवल धार्मिक परिवर्तन का विषय नहीं रहा। यह एक वैश्विक सॉफ्ट-पावर टूल बन चुका है।अमेरिका, यूरोप और कुछ अंतरराष्ट्रीय NGO नेटवर्क, रिलीफ एंड फेथ बेस्ड डेवलपमेंट के नाम पर भारत में अरबों डॉलर की विदेशी सहायता भेजते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) के तहत 2022-23 में भारत में कुल 23,000 करोड़ से अधिक विदेशी चंदा आया, जिसमें से धर्म आधारित NGO को सबसे अधिक हिस्सा मिला। मेरा केंद्र सरकार के प्रति सुझाव है कि सभी ट्रस्ट, एनजीओ और सोसाइटीज़ जो कानून के तहत पंजीकृत हैं, उनकी आयकर विभाग द्वारा नियमित और आवश्यक स्क्रूटिनी की जानी चाहिए। इस तरह सरकार को पता चलेगा कि पैसा किस स्त्रोत से आ रहा है, किस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया है और क्या वह देश की अखंडता के लिए खतरा बनता है। साथ ही यह भी जांचा जाना चाहिए कि प्राप्त धन का अंतिम उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। इन फंडों का दीर्घकालिक उद्देश्य सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना होता है। यही कारण है कि कई बार इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप स्थानीय भाषाएँ, परंपराएँ और लोक-आस्था धीरे-धीरे समाप्त होती जाती हैं - और उसके स्थान पर पश्चिमी या अरबी प्रभाव वाला जीवन-दर्शन पनपता है।

सांस्कृतिक असंतुलन और सामाजिक तनाव

धर्मांतरण केवल धार्मिक आँकड़ों का विषय नहीं है। यह समाज में सांस्कृतिक असंतुलन और आपसी अविश्वास की जड़ें बोता है। जब एक ही गाँव, परिवार या समुदाय के लोग अलग-अलग धार्मिक पहचान अपना लेते हैं, तो पीढ़ियों की एकता टूट जाती है। यह विभाजन राजनीतिक लाभ का साधन बनता है - स्थानीय चुनावों में धर्म आधारित मतदाता ध्रुवीकरण के रूप में। असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई बार देखा गया कि जहाँ धर्मांतरण तेज़ हुआ, वहीं सांप्रदायिक टकराव, हिंसा और जनसंख्या असंतुलन के खतरे भी बढ़े। कुछ जिलों में स्थानीय आदिवासी अब खुद को हिंदू न कहकर मूल निवासी या सरना पहचान से जोड़ रहे हैं - जिसे अलग धर्म घोषित करने की मांग भी उठ रही है। यह स्थिति भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए गंभीर संकेत है।

आने वाले दशकों की दिशा

यदि यह प्रवृत्ति इसी गति से चलती रही, तो आने वाले 30-40 वर्षों में कई क्षेत्रों में धार्मिक जनसांख्यिकी पूरी तरह बदल सकती है। भारत में धर्मांतरण के विरुद्ध कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड पहले ही कड़े कानून बना चुके हैं। परंतु इन कानूनों के प्रभाव को धरातल पर लागू करना अब भी चुनौती है - क्योंकि गतिविधियाँ अब डिजिटल, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय रूप में फैली हुई हैं।

आवश्यक उपाय और आत्म-पुनरावलोकन

स्थानीय डेटा संग्रह और पारदर्शिता

जिले-स्तर पर मामलों की संख्या, पुलिस रिपोर्ट, आरोपों की प्रकृति (प्रलोभन, विवाह, बल आदि) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। यह मीडिया या सामाजिक संगठनों की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड और न्यायालयीन प्रकरणों से समर्थित होना चाहिए।

पुलिस और न्यायालयीन प्रक्रिया में त्वरितता और निष्पक्षता

स्थानीय पुलिस को ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए; पीड़ितों को न्यायालयीन प्रक्रिया में सुरक्षा और कानूनी मदद सुनिश्चित हो; झूठे आरोपों की जाँच हो; झूठे मामलों में कानूनी निष्कर्ष तक पहुँचने की संभावनाएँ हों।

सामाजिक सेवाओं का क्षेत्रीकरण

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय कार्यक्रमों की पहुँच उन स्थानों पर जहाँ आर्थिक-शैक्षिक पिछड़ापन अधिक है, जैसे आदिवासी इलाकों, पिछड़े ब्लॉकों में। यदि लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा के कारण धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, यह संकेत है कि मूल आवश्यकता पूरी नहीं हो रही।

कानूनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा

नया कानून प्रभावी है, पर इसे लागू करते समय धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान की आस्था-स्वतंत्रता की गारंटी, और निजी जीवन की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग की आशंका को कम करने के लिए शपथ पत्र, गवाह, दस्तावेज़ आदि की सख़्त जाँच हो।

समुदाय आधारित जागरूकता अभियान : लोकतांत्रिक होने के नाते हमें गाँवों, मोहल्लों, स्कूलों में इस विषय पर संवाद खोलना चाहिए - धर्म परिवर्तन के आरोपों की सच्चाई क्या है, अधिकार क्या हैं, कानूनी चुनौतियाँ क्या हैं। धार्मिक नेतृत्व (ग्राम धर्मगुरु, पुजारी, मौलवियों) को इस संवाद में शामिल करना चाहिए ताकि समाज के विश्वास टूटने से पहले संबोधन हो सके। यह विषय केवल सरकार या सुरक्षा एजेंसियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आत्मचिंतन का प्रश्न है। हमें यह समझना होगा कि धर्मांतरण की जड़ें केवल बाहर से नहीं आतीं - वे वहीं उगती हैं जहाँ गरीबी, असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है। यदि हम इन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो कोई भी कानून इस प्रवृत्ति को नहीं रोक सकेगा। हमें शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में अपने स्वयंसेवी संगठनों को सशक्त बनाना होगा। गाँवों, पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में ऐसे प्रयास होने चाहिए जो धर्म नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर सेवा दें। सांस्कृतिक जागरूकता को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना, युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से परिचित कराना - यही इस चुनौती का स्थायी उत्तर है। भारत की ताकत उसकी विविधता और सहिष्णुता में है, परंतु यह तभी टिक सकती है जब उसकी जड़ें मज़बूत रहें। धर्मांतरण की यह बढ़ती लहर हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या हम अपनी सांस्कृतिक आत्मा की रक्षा कर पा रहे हैं?

यह समय है आत्मपरीक्षण का - धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना के आधार पर जिसने भारत को सदियों तक एकता में बाँधे रखा है।

-रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

किसान ने स्मार्ट फार्मिंग से अमरूद की खेती कर लाखों का मुनाफा कमाया

10वीं पास किसान ने खेती के लिए खुद सोशल मीडिया से जानकारी जुटाई

■ जैविक खेती के जरिए 1 बीघा में 90 क्विंटल अमरूद उगाए, इसके बाद धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ाते हुए साढ़े चार बीघा में 10 टन अमरूद उगा रहे हैं

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां किसान ने स्मार्ट फार्मिंग से अमरूद (सफेदा) की खेती कर 10 लाख का मुनाफा कमाया है। उन्होंने इसकी खेती के लिए खुद सोशल मीडिया से जानकारी जुटाई। जैविक खेती के जरिए 1 बीघा में 90 क्विंटल अमरूद उगाए इसके बाद धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ाते हुए साढ़े चार बीघा में 10 टन अमरूद उगा रहे हैं। अब व्यापारी सीधे खेत से ही 50 किलो के अमरूद खरीदने आते हैं। किसान मनोहर लाल बताते हैं कि पारंपरिक खेती से मुनाफा कम होता है। पहले एक बीघा फिर साढ़े चार बीघा पर अमरूद की जैविक खेती शुरू की।

उन्होंने यूट्यूब पर अमरूद की खेती के बारे में देखना और आसपास इसकी जानकारी जुटाना शुरू किया। अमरूद की खेती से जुड़े वीडियोज भी देखे। पौध मंगाने के लिए हरियाणा के हिसार में बालाजी नर्सरी से संपर्क किया। मनोहर बताते हैं कि यहां से उन्होंने सफेदा अमरूद की फोर्ड वैरायटी के पौधे मंगवाए। जैविक खाद का इस्तेमाल कर उन्होंने पौधे लगाए। करीब 2 साल बाद पौधों पर फल लगने शुरू हुए और पहले ही साल में 10 लाख रुपए की कमाई हो गई। अब एक बीघा से करीब 90 क्विंटल अमरूद का उत्पादन होता है। साढ़े चार बीघा में कुल करीब 10 टन अमरूद तैयार होता है। मनोहर बताते हैं कि व्यापारी खुद खेत पर आकर 50 किलो के हिसाब से अमरूद खरीदते हैं। मनोहरलाल का अमरूद श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित पूरे राजस्थान में सप्लाई होता है।

मनोहरलाल ने बताया कि सफेदा अमरूद में नरम बीज होते हैं, जिसे आसानी से खाया जा सकता है। यह किस्म सबसे मीठे अमरूद देती है और इसमें कीड़े भी नहीं लगते। फल चिकने और चमकदार होते हैं। पकने पर बाहर से हल्का पीला और अंदर से सफेद गूदा होता है। एक फल का औसत वजन 150-200 ग्राम होता है।

श्रीगंगानगर से अमरूद लेने आए व्यापारी नानक सिंह ने बताया कि सफेदा अमरूद खाने में सबसे बेस्ट है। इसके बीज नरम होने के कारण इसकी खरीदारी ज्यादा होती है। सीधे खेत से अमरूद लेने में फायदा होता है। ताजा अमरूद पौधों से तोड़कर, इसे पेटियों में पैक कर बेचने के लिए ले जाते हैं। यह अमरूद पूरी तरह से जैविक है और इसमें कीड़े, मच्छर, मक्खी वगैरह भी नहीं लगते।

मनोहर ने बताया कि सफेदा अमरूद की किस्म साल भर फल दे सकती है, लेकिन मुख्य फसल सर्दियों में आती है। एक पौधे से कम से कम 100 से 150 किलो फल हर साल प्राप्त होते हैं। फलों की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, जो ट्रांसपोर्ट और बाजार के लिए अच्छी है। यह किस्म अमरूद की खेती के लिए शुरुआती किसानों के लिए भी आसान है, क्योंकि यह कम रखरखाव वाली है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 25 अक्टूबर, 2025

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, चतुरथी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, अनुराधा नक्षत्र प्रातः 7:52 तक, शोभन योग प्रातः 6:45 तक, वणिज करण दिन 2:34 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-तुला, बुध-वृश्चिक, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग प्रातः 2:52 से आरम्भ होगा। भद्रा दिन 2:34 से रात्रि 3:49 तक रहेगी। आज विनायक चतुर्थी, दुर्वा गणपति व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:00 से 9:23 तक, चर 12:11 से 1:35 तक, लाभ अमृत 1:35 से 4:22 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:36, सूर्यास्त 5:46

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

वृष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति एवं आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी।

कर्क
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। वास्थ्य ठीक रहेगा।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।